# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2019/00022

**अनवान**

1. सरकार जरिये तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री गिरिराज पिता भूरालाल महाजन, निवासी भीण्ड़र, तहसील भीण्ड़र, जिला उदयपुर।

– विपक्षी

**उपस्थित**

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री श्रीराम शर्मा, अधिवक्ता, विपक्षी।

**प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने**

## * निर्णय *

दिनांक 31-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कसोटिया, हाल तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 323/3 रकबा 4 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी श्री गिरिराज पिता भूरालाल महाजन, निवासी भीण्ड़र के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। विपक्षी के पिता श्री भूरालाल पिता सुखलाल महाजन, निवासी भीण्ड़र को उपखण्ड़ कार्यालय धरियावद के प्रकरण संख्या 792/2006 से दिनांक 20.05.2006 को उक्त भूमि का आवंटन हुआ हैं। उक्त आराजीयात पर विपक्षी का कब्जा नहीं होकर भूमि पथरीली एवं पड़त हैं एवं आवंटन के पश्चात् विपक्षी के पिता अथवा विपक्षी द्वारा कभी काश्त नहीं की गई हैं। भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम मे आ रही है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करने से विपक्षी के पिता के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया कि राजस्व ग्राम कसोटिया, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर की आराजी संख्या 323/3 रकबा 4 बीघा का आवंटन विपक्षी के पिता श्री भूरालाल पिता सुखलाल को स्वतंत्रता सैनानी के कोटे के तहत विधि अनुसार आवंटित की गई हैं एवं इसके बाद से ही उक्त भूमि का उनके द्वारा उपयोग किया जाता रहा हैं। विपक्षी के पिता के निधन उपरान्त विपक्षी उक्त भूमि का निरन्त उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा हैं। विपक्षी के

पिता आयुर्वेद के परम्परागत जानकार थे एवं उन्ही की इच्छानुरूप उक्त भूमि पर ग्वारभाटा गिलोय का सीमित और कम लागत पर उत्पादन करते हुए निःशुल्क आयुर्वेद संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाता रहा है। विपक्षी के पिता को किया गया आवंटन स्वतंत्रता सैनानी के कोटे से होकर विशिष्ट श्रेणी का है एवं विपक्षी से असामाजिक एवं विपरित राजनैतिक विचारधारा के व्यक्ति कम कीमत पर उक्त भूमि को खरीदना चाहते है। इसी आधार पर उन्होने पटवारी हल्का के साथ मिलकर मिथ्या शिकायत की हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा विपक्षी की अनुपस्थिति मे बनाया गया है। अतः विपक्षी का जवाब रेकर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। मामले मे उपखण्ड अधिकारी धरियावद से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 792/2006 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। राजकीय अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करने हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर विपक्षी के पिता एवं विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना न करना, मौके पर भूमि पड़त होना, विपक्षी का गैर खातेदार होना आदि आधारो पर विपक्षी के पिता के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त किये जाने की मांग की।

विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी के पिता को विधि अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के कोटे से भूमि काआवंटन होना, आवंटन पश्चात् ग्वारभाटा गिलोय का सीमित एवं कम लागत पर उत्पादन करना, समुदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा मिथ्या शिकायत करना आदि आधारों पर विपक्षी के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने एवं तहसीलदार लसाड़िया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना सव्यय खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया के प्रार्थना पत्र, विपक्षी के जवाब, आवंटन पत्रावली आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी के पिता श्री भूरालाल पिता सुखलाल महाजन द्वारा मौजा कसौटिया, तहसील लसाड़िया की साबिक आराजी संख्या 323 मी. मे से भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी के पिता के पक्ष में किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, प्रधान एवं सरपंच के हस्ताक्षर उपलब्ध हो अध्यक्ष के रूप मे उपखण्ड़ अधिकारी के हस्ताक्षर मौजुद हैं। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी के पिता को किया गया आवंटन नियमानुसार हैं। प्रकरण मे विवाद आवंटन शर्तो की पालना न करने से संबंधित है एवं तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत टेकण मे दिनांक 26.07.2019 को जिला कलक्टर की रात्रि चौपाल के दौरान प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर उक्त कार्यवाही की हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्ती प्रार्थना पत्र मे मौके पर विपक्षी का कोई कब्जा नही होना बताया है, इसके विपरित शिकायतकर्ताओं द्वारा रात्रि चौपाल के दौरान प्रस्तुत शिकायत मे विपक्षी का मौके

पर कब्जा होना बताया हैं। तहसीलदार द्वारा प्रकरण मे विपक्षी एवं उसके पिता द्वारा आवंटन के उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न करने का उल्लेख अवश्य किया है, किन्तु पुष्टि स्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न की गई खसरा गिरदावरी रिपोर्ट आवंटन के निरन्तर पश्चात् की प्रस्तुत नहीं की है एवं पटवारी हल्का द्वारा बनायी गई रिपोर्ट एक पक्षीय है। प्रकरण मे तहसीलदार द्वारा भूमि सार्वजनिक उपयोग की होना बताया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज अथवा मौके के फोटो उनके द्वारा सलंग्न नही किये गये हैं और न ही किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर शिकायत पर है। प्रकरण मे तहसीलदार लसाड़िया का यह दयित्व था कि शिकायतकर्ताओं की ओर से प्राप्त हुई शिकायत के संबंध मे आवंटी को नोटिस जारी किया जाता एवं उसे सुना जाकर प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जाती। विपक्षी का कथन है कि उनके पिता को उक्त भूमि का आवंटन स्वतंत्रता सैनानी के कोटे से किया गया है एवं इसका उल्लेख आवंटन पत्रावली पर भी है, किन्तु तहसीलदार द्वारा मामले मे इस तथ्य पर कोई विवेचन अपने प्रार्थना पत्र मे नहीं किया हैं। प्रकरण मे प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर द्वारा की गई कार्यवाही बिना जांच, विपक्षी को सुने बिना, उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत प्राप्त किये बिना की जाना प्रतीत हेाता है। ऐसी स्थिति मे मामले की पुनः जांच की जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार लसाड़िया, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लसाड़िया को निर्देश दिये जाते है कि वह रात्रि चौपाल मे प्राप्त शिकायत के संदर्भ मे प्रकरण मे विपक्षी को नियमानुसार सुनकर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर पूर्णतया विधिनुरूप जांच करे एवं प्रकरण आवंटन निरस्ती योग्य पाया जावे तो नवीन सिरे से प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.02.03 13:41:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: